न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	इनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	49/24	2024/95	20.11.2024	रामनिवास बनाम नायब तहसीलदार वजीपुर	17.11.2025	1 लगायत 2

1. रामनिवास पुत्र श्रीकिशन जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर। । —रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—
अपीलार्थी की और से :— विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की और से :— पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 127/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1606 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया पटवारी द्वारा ग्राम मैडी की भूमि खं0न0 1606 रकबा 0.07 है0 के बाबत् एक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिकमण करने बाबत् पेश की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्ट को नहीं मिला। इसके बाबजूद उक्त नोटिस के आधार पर अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ। परन्तु अपीलान्ट को उक्त नोटिस का जबाब पेश करने हेतु समय नहीं दिया गया [illegible] लान्ट की गैर मौजूदगी में पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये जाना दिनांक 28.08.2024 को आदेशीय अंकित करते हुये इस दिनांक को अपीलान्ट को पश्चात्वृति अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय [illegible] रूप से पारित कर दिया। जिससे पिडित होने के कारण उक्त अपील निम्न आधारों पर न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलाधीन निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:50 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस धारा 91 एलआरएक्ट की पालना में अपीलान्ट दिनांक 20.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस के जबाव के लिए समय चाहा, जिस पर अपीलान्ट को जबाब प्रस्तुत करने हेतु 8 दिन का समय दिया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के जबाब प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 20.08.2024 को पत्रावली में एक मोहर इस आशय की अंकित कर दी कि पत्रावली पेश हुयी, नोटिस की पालना में अतिकमी उपस्थित/अनुपस्थित हुआ। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। अर्थात आर्डरशीट से स्वयं स्पष्ट है कि पत्रावली में सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध रूप से न्यायिक सिद्वान्तों के विपरित की गयी है, साथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नायब तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि नायब तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 28.08.2024 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी